तारीख हुक्म	
22/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० [illegible] अभाव के कारण [illegible] नहीं हो सकी [illegible] पत्रावली वास्ते ~~[illegible]~~ [illegible] 22/8/24 को पेश हो A— [signature] SDO
22/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है जिससे प्रार्थना-पत्र अ० धारा 111, व 120 राज० भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शा० मि० किया गया। पत्रावली बाद तकमील [illegible] होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो [illegible] A— [signature] 22.8.24 SDO उपखण्ड अधिकारी [illegible] (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री सुखाराम पिण्डेल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः– 3/11/2024 दायर दिनांकः– 30/05/2024

जीसीएमएस न0:– 2024/448 निर्णय दिनांक 22/08/2024

बउनवान

1. कामेन्द्री उर्फ कान्ता पत्नी कृष्णकांत जाति ब्राहम्ण निवासी मेदपुरा तहसील कठूमर अलवर।
2. यशबन्त पुत्र कृष्णकांत जाति ब्राहम्ण निवासी मेदपुरा तहसील कठूमर अलवर।
3. हेमा पुत्री कृष्णकांत जाति ब्राहम्ण निवासी मेदपुरा तहसील कठूमर अलवर।

––प्रार्थीगण

ब्नाम

1. तहसीलदार कठूमर बहैसियत लेण्ड होल्डर तहसीलदार कठूमर।

——— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितिः–1.श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा– अधिवक्ता प्रार्थी

–:निर्णयः–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि आराजी खसरा नम्बर 142 रकबा 0.72 हैक्ट0 वाके ग्राम मेदपुरा तहसील कठूमर मे स्थित है। जो आराजी प्रार्थीयान की कब्जे काश्त खातेदारी की दर्ज रेकॉर्ड आराजी है। जिस पर प्रार्थीयान काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजी की सीमायें हो रही है लेकिन उकत आराजी की सीमायें खुली होने के कारण पडौसी खातेदार ताकत के बल पर प्रार्थीयान को परेशान करते रहते है तथा काश्त करने में बाधा व व्यवधान पैदा करते रहते है तथा खेत की डौलों को तोड कर उकत आराजी की जमीन को अपने खेत में मिला लेते है पडौसी खातेदार जबदेस्त व लडाकू व्यक्ति है जो आये दिन प्रार्थीयान की उक्त खातेदारी की आराजी की मेडों को ट्रेक्टर से जोतकर व फावडों से काट कर उक्त आराजी की भूमि को अपनी आराजी में मिलाने की कोशिश करते है। मना करने पर झगडा करते है कुछ जमीन अपने खेतों में मिला भी ली प्रार्थी व अप्रार्थी के दोनों खेतों के बीच पहले कच्ची मेड स्थित थी जिसको अप्रार्थी ने धीरे–धीरे बीच में स्थित मेड को खत्म कर दिया है। एवं उस पर गढे पत्थरों को उखाडकर अपने खेत में मिलाकर कब्जा करने को उतारू है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से कहा कि दोनों के खेतों की पैमाईश करवा के बीच में डौर डाल देते है, तो अप्रार्थी ने पैमाईश के लिये भी मना कर दिया। जिस कारण प्रार्थी स्वयं के खेत खसरा नम्बर 142 की पैमाइश करा कर

22.8.24
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

दोनों खेतों के मध्य पत्थरगढी कराना चाहता है। अतः प्रार्थी ने उक्त आराजी की पैमाइश कराकर सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी कराये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थीयान का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तामीली नोटिस जरिये डाक भिजवाया गया। दिनांक 05.07.204 को अप्रार्थी बाबजूद रजिस्टर डाक सूचना नही आने पर उनके विरूद्ध के एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई। प्रार्थीयान ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ सत्य प्रतिलिपी जमाबन्दी हाल व छाया प्रति वाके ग्राम मेदपुरा की छाया प्रति पेश की है, जो शामिल पत्रावली है

हमने पत्रावली के तथ्यों, प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी। मुताबिक जमाबन्दी आराजी खसरा नम्बर 142 ग्राम मेदपुरा तहसील कठूमर प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। मुताबिक जमाबन्दी इस आराजी पर प्रार्थीयान काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजी की सीमायें हो रही है लेकिन उकत आराजी की सीमायें खुली होने के कारण पडौसी खातेदार ताकत के बल पर प्रार्थीयान को परेशान करते रहते है तथा काश्त करने में बाधा व व्यवधान पैदा करते रहते है तथा खेत की डौलों को तोड कर उकत आराजी की जमीन को अपने खेत में मिला लेते है प्रार्थी व अप्रार्थी के दोनों खेतों के बीच पहले कच्ची मेड स्थित थी, जिसको अप्रार्थी ने धीरे–धीरे बीच में स्थित मेड को खत्म कर पडोसी खातेदारों ने अपनी आराजी मे मिला लिया है। उसकी मेंड पर गडे पत्थरों को उखाडकर अपने खातेदारी के की आराजी में मिलाकर कब्जा बनाये हुये है।जो कि बिना किसी पैमाईश के है। प्रार्थी की जमीन को अपने हिस्से की आराजी में मिला ली है, जिसके लिये प्रार्थी ने पैमाइश कराने व सीमाज्ञान के पश्चात् पत्थरगढी कराने का निवेदन किया है। पत्रावली के तथ्यों, प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

—:: आदेश ::—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार कठूमर को आदेशित किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 142 रकबा 0.72 हैक्ट0 वाके ग्राम मेदपुरा की पैमाइश कर खेत की चारों सीमायों के बीच विधि के अनुसार पैमाइस/सीमाज्ञान कराकर प्रार्थी के खर्चे पर पत्थरगढी कराकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे। आदेश की तहरीर तहसीलदार कठूमर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर होकर दाखिल दफ्तर हो। सुनाया।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)